भारत सरकार

संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या:1750

उत्तर देने की तारीख: सोमवार, 10 मार्च, 2025

19 फाल्गुन,1946 (शक)

चंडीगढ़ में विरासत स्मारक

1750. श्री मनीष तिवारी:

क्या **संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चंडीगढ़ में किसी स्मारक को प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, जबकि चंडीगड़ को विरासत शहर के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि चंडीगढ़ उस समय पूर्ववर्ती संयुक्त पंजाब की राजधानी थी, चंडीगढ़ में किसी स्मारक को पंजाब प्राचीन और ऐतिहासिक संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1964 के अंतर्गत राज्य महत्व के स्मारक के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या देश में किसी अन्य लागू घरेलू कानूनों के अंतर्गत चंडीगढ़ में किन्हीं स्मारकों, पुरातत्वीय स्थलों अथवा प्राचीन अवशेषों को राज्य अथवा राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के रूप में अधिसूचित किया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

संस्कृति और पर्यटन मंत्री

(श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) से (ग): प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के अंतर्गत, चंडीगढ़ में कोई भी स्मारक राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के रूप में तथा पंजाब प्राचीन और ऐतिहासिक संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1964 के अंतर्गत कोई भी संस्मारक राज्य महत्व के संस्मारक के रूप में नामित नहीं किया गया है। तथापि, चंडीगढ़ कैपिटल कॉम्पलेक्स को "ले कोर्बुसीयर का वास्तुकला, आधुनिक आंदोलन में एक उत्कृष्ट योगदान" शीर्षक के अंतर्गत एक अन्तरराष्ट्रीय विश्व विरासत परिसंपत्ति के रूप में नामित किया गया था।

*****